न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–33 / 2008–09

सत्यनारायण कुमार एवं अन्य बनाम **वैधनाथ प्रसाद एवं अन्य**

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10/7/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 08 / 2007–08 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा पारित दिनांक 08.11.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है :– **प्रथम पक्ष** 1. सत्यनारायण कुमार, पिता–रामदेव महतो 2. अभिषेक कुमार, पिता स्व0 शैलेन्द्र कुमार, दोनों का पता मुहल्ला –बाहरी बेगमपुर, पो0–बेगमपुर, थाना–बाईपास, जिला –पटना **द्वितीय पक्ष** 1. वैधनाथ प्रसाद, पिता स्व0 जलेबी महतो 2. शिवशंकर महतो, पिता स्व0 जलेबी महतो 3. सिकन्दर महतो, पिता स्व0 जलेबी महतो, सभी का पता मो0–चैनपुरा, थाना–बाईपास, जिला–पटना इस वाद में विपक्षी सं0 3 के द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 04.02.2010 को प्रतिउत्तर दायर किया गया। इस न्यायालय में वाद लम्बित रहने के दौरान विपक्षी सं0 1 एंव 2 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके वैध उतराधिकारियों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गयी। विपक्षी सं0 1 एवं 2 के उतराधिकारियों को भेजी गयी निबंधित नोटिस वापस हो जाने के कारण दिनांक 16.05.2017 के दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षी सं0 1 एवं 2 के उतराधिकारी उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी सं0 3 के द्वारा भी दिनांक 17.07.2013 से इस वाद में पैरवी करना छोड़ दिया गया। फलतः एक पक्षीय सुनवाई हेतु रखा गया। दिनांक 04.07.2018 को प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित बहस एवं दस्तावेजों की छाया प्रति दाखिल की गयी। **प्रथम पक्ष का कहना है कि** (1) दिनांक 12.10.1936 के निबंधित केवाला से जलेवी महतो, राममजन उर्फ भजन महतो, दोनों पुत्र प्रसाद महतो वो रामदेव महतो वल्द स्व0 भोला महतो के संयुक्त नाम से मौजा रानीपुरचक, थाना नं0 20, खाता	

नं0 72, खेसरा नं0 262 कुल रकवा 2.3 एकड़ की खरीद की गयी।

(2) सम्पति के बंटवारा में रामदेव महतो को प्रश्नगत भूखण्ड में $1.54\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन पश्चिम तरफ मिली जिसकी वर्ष1951 तक की जमीन्दारी रसीद रामदेव महतो के नाम से कटती रही तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात जमाबंदी सं0 8 कायम होकर वर्ष 2005–06 तक लगान रसीद निर्गत होती रही। मालगुजारी का भुगतान आवेदकगण के द्वारा किया जाता रहा है।

(3) वर्ष 2005 में रामदेव महतो के द्वारा अपने परिवार के बीच लोक अदालत में एल0ए0 वाद सं0 216/2005 के अन्तर्गत दिनांक 07.10.2005 को बंटवारा कर विवादित सम्पति अपने पुत्रों एवं पौत्रों को दे दी गयी।

(4) हाल सर्वे खतियान में साबिक खाता नं0 72 नया खाता नं0 80 बना। उक्त सर्वे खतियान में रामदेव महतो के पुत्रों का नाम रैयत सह दखलकार के रूप में अंकित है।

(5) विपक्षीगण का भी दिनांक 10.03.1980 को रवानगी बंटवारा हुआ। उक्त बंटवारा में विवादित खेसरा सं0 262 रकवा $1.54\frac{1}{2}$ एकड़ को सम्मिलित नहीं किया गया। यदि विवादित भूखण्ड पर विपक्षीगण का हक एवं दखल होता तो दिनांक 10.03.1980 के बंटवारानामा में उसे अवश्य शामिल किया गया होता। इससे यह साबित होता है कि विपक्षीगण का 1980 या उससे पूर्व तक विवादित भूखण्ड पर कोई दावा नहीं था।

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1}{5}$ वर्ष 2007–08 के द्वारा इस वाद के आवेदकगण को बिना सूचना दिए विवादित खेसरा सं0 272 रकवा $77\frac{1}{3}$ डी0 का दाखिल खारिज विपक्षीगण के नाम से कर दिया गया।

(7) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1}{5}$ वर्ष 2007–08 में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दिनांक 27.04.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 08/2007–08 दायर की गयी, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा तथ्यों पर ध्यान दिये बिना अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(8) इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी में एक टाईटिल सूट सं0 104/2005 आवेदकगण पर लाया गया था। आवेदकगण के द्वारा हाजिर होकर जबाब दिया गया तब विपक्षीगण के द्वारा पैरवी करना छोड़ दिया गया। फलतः दिनांक 31.05.2016 को उक्त स्वत्व वाद खारिज कर दिया गया।

(9) आवेदकगण के द्वारा अपील वाद सं0 08/2007–08 में दिनांक

08.11.2008 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 15 जेठ 1951 का बंटवारानामा
(2) जमीन्दारी रसीद एवं मालगुजारी रसीद
(3) हाल सर्वे खतियान
(4) दिनांक 24.09.2004 का बंटवारानामा
(5) दिनांक 10.03.1980 का बंटवारानामा
(6) स्वत्व बंटवारा वाद सं0 104/05 में दिनांक 31.05.2016 को पारित आदेश

विपक्षी सं0 3 के द्वारा दिनांक 04.02.2010 को दिए गए अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि

(1) यह रिवीजन वाद गलत मंशा से जमीन हड़पने के उद्देश्य से दायर किया गया है।

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1}{5}$ वर्ष 2007–08 में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा हल्का कर्मचारी के द्वारा दिए गए दखल–कब्जा के प्रतिवेदन के आधार पर सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात दाखिल खारिज स्वीकृति दी गयी थी।

(3) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 08/2007–08 दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा उभय पक्षों को सुनकर, सभी दस्तावेजों का अध्यन कर दिनांक 08.11.2008 के आदेश से अंचलाधिकारी, पटना सदर के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(4) सब जज–3, पटना सिटी के न्यायालय में स्वत्व बंटवारा वाद सं0 104/2005 विचाराधीन है। व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद लम्बितरहने की स्थिति में प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में कोई निर्णय लिया जाना उचित नहीं है।

(5) आवेदकगण के पास अपने दावा के पक्ष में कोई दस्तावेज नहीं है। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1}{5}$ वर्ष 2007–08 में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश तथा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 07/2007–08 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा पारित आदेश पूर्णतः उचित एवं विधि सम्मत है। पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी सं0 3 के प्रतिउत्तर के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा उत्तराधिकारी के आधार पर

पूर्वजो के द्वारा क्रय की गयी सम्पति में अपने $\frac{1}{3}$ हिस्से के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1}{5}$ वर्ष 2007–08 के आदेश फलक एवं राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद के आवेदकगण को बिना विधिवत सूचना दिए अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी, जो नियम विरूद्ध है।

(2) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उत्तराधिकारी के आधार पर इस वाद के विपक्षीगण के $\frac{1}{3}$ हिस्से का निर्धारण करते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(3) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 08/2007–08 में इन सभी तथ्यों पर ध्यान दिए बिना अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(4) इस वाद के विपक्षी के द्वारा दाखिल स्वत्व बंटवारा वाद सं0 104/2005 दिनांक 31.05.2016 को निरस्त कर दिया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1}{5}$ वर्ष 2007–08 में पारित आदेश तथा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 07/2007–08 में दिनांक 08.11.2008 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करते हुए अपील वाद सं0 07/2007–08 एवं दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1}{5}$ वर्ष 2007–08 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, पटना सदर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना